



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15112021-231146
CG-DL-E-15112021-231146

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 646]
No. 646]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 15, 2021/कार्तिक 24, 1943
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 15, 2021/KARTIKA 24, 1943

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2021

सा.का.नि. 795(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मूल नियम, 1922 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मूल (संशोधन) नियम, 2021 है।
(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

- मूल नियम, 1922 के नियम 56 के खंड (घ) के पांचवें परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“परन्तु यह भी कि, केंद्रीय सरकार, यदि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझे, तो केंद्रीय सरकार में रक्षा सचिव, गृह सचिव, आसूचना ब्यूरो के निदेशक, अनुसंधान और विश्लेषण विंग के सचिव और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के अधीन नियुक्त केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (2003 का 45) के अधीन प्रवर्तन निदेशालय में प्रवर्तन निदेशक की सेवाओं का, ऐसी अवधि या अवधियों के लिए, जो विभिन्न मामलों के आधार पर समुचित समझी जाए, कारणों को लेखबद्ध करके, इस शर्त के अधीन कि यथास्थिति, ऐसे सचिव या निदेशक, जिनकी सेवा का विस्तार इस नियम

के अधीन दो वर्ष की अवधि या क्रमशः अधिनियम या उनके अधीन बनाए गए नियम, जिनके अधीन नियुक्ति की गई है, में दी गई अवधि से अधिक न हो, का विस्तार करती है।”।

[फा. सं. 25012/01/2021-स्था. क-IV]

सत्यजित मिश्र, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम तारीख 1 जनवरी, 1922 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और सा0का0नि0 767(अ) के अधीन तारीख 11 अगस्त, 2018 की अधिसूचना द्वारा अंतिम रूप से संशोधित भी किए गए थे।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel And Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2021

G.S.R. 795(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to the article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Fundamental Rules, 1922, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Fundamental (Amendment) Rules, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Fundamental Rules, 1922, in rule 56, in clause (d), for fifth proviso, the following shall be substituted, namely:—

“Provided also that the Central Government may, if it considers necessary in public interest so to do, give extension in service to the Defence Secretary, Home Secretary, Director of Intelligence Bureau, Secretary of Research and Analysis Wing and Director of Central Bureau of Investigation appointed under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946) and Director of Enforcement in the Directorate of Enforcement appointed under the Central Vigilance Commission Act, 2003 (45 of 2003) in the Central Government for such period or periods as it may deem proper on a case-to-case basis for reasons to be recorded in writing, subject to the condition that the total term of such Secretaries or Directors, as the case may be, who are given such extension in service under this rule, does not exceed two years or the period provided in the respective Act or rules made thereunder, under which their appointments are made.”.

[F. No. 25012/ 01/2021-Estt.A-IV]

SATYAJIT MISHRA, Jt. Secy.

Note: The Fundamental Rules, 1922 were published in the Gazette of India on 1st January, 1922 and were last amended, *vide* notification under G.S.R. 767(E), dated the 11th August, 2018.